

पत्रावली पेश हुई/अधिवक्तागण . . .
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. र
मीटिंग/बाहर/अवकाश में। पत्रावली
वास्ते वि.सं. 25.2.20
को पेश हो।

3/20 पत्रावली पेश। वकील प्रसकार उपर की वास्त
विकारण अभाव 12.3.20 की पेश की

7/3/20 पत्रावली पेश वकील प्रसकार उपर की वास्त
वि.सं. 23.4.20 की पेश की

3/4/20 पत्रावली पेश किया जाक अदालत अभियान
केस नं. 5130 पर पेश हुयी
प्रकार स्थगित/अनुपस्थित है। प्रकरण
के सहमति का अभाव है। अतः नियमि
तुनवार हेतु वि.सं. 7.20 को पेश ।

7/20 पत्रावली पेश हुई/अधिवक्तागण . . .
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. र
मीटिंग/बाहर/अवकाश में। पत्रावली
वास्ते वि.सं. 20.7.20
को पेश हो।

07/20 पत्रावली पेश हुई/अधिवक्तागण . . .
न्यायिक कार्य स्थगित रखा/P.O. र
मीटिंग/बाहर/अवकाश में। पत्रावली
वास्ते वि.सं. 23.7.20
को पेश हो।

3-7-20 पत्रावली पेश। वकील प्रसकार उपर की
तकनीकद्वारा द्वारा अस्तुत विकारण अभाव पर

बक्रील बादिया को सुना गया। लहफीनदार (राजमंडी) द्वारा प्रस्तुत विभाजित प्रस्ताव पर विचार किया।

लहफीनदार राजमंडी द्वारा प्रस्तुत विभाजित प्रस्ताव स्वीकार किये जाकर ग्राम लखड़िया वी प्रमि खं मं 333, 379, 382, 383 का पसकारों के मध्य निम्न प्रकार खाता विभाजित किया जाता है।

क्र.सं	नाम पसकार मय विव (0)	ख.सं	क्षेत्र दिशा
(1)	भूलीबाई पत्नी रामक (0) जालि	333	0.87 पश्चिम
	ग्रजल खात देह	किला 1	0.87 हे. -

(2)	बालाशंकर रामक (0) पुम	333	0.23 पूर्वी
	रोडूलाल, मोहनीबाई -		
	सैलोषबाई पुमी रोडूलाल	379	0.53 -
	कमलाबाई धर्मपत्नी खं	382	0.01 -
	रोडूलाल हिं 87/173 हिं	383	0.96 -
	बाबर,	किला 4	1.73 हे. -

पप्पु पुम बाधा हिं 43/173
बड़ी पुम नापयण हिं 43/173
जालि धाकड़ ला देह

निर्णय में अमल हो। मध्य में लक्ष्मी हो।
तदनुसार डिप्टी मजिस्ट्रेट हो।
पमावली किले सुमा की जाकर उचित
लेख भंडाल हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2020 को मेट
द्वारा लिखाया जाकर सारे इज्जाम सुनाया।

(चिमनलाल मीठा)

उच्च न्यायालय दिल्ली

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, आपनो दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी
 व इजलास चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
अलीखान बनाम जयलाल
 दावा बाबत 53-188 R.T. Act. 1955
 मुकदमा नं. 39 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिर्मल कतई रू-व-रू मुझ चिमनलाल मीणा (R.A.S.)
 बहाजरी सी. डी. अरी एड. मिनजानिव मुद्दई व सी. जगदीश धाकड़ एड.

मिनजानिव मुद्दायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता है कि मुद्दा दी जाती है कि
 वाड वादिया अंशतः खीका किया जाऊं यह आदेश दिया जाता है कि मुझ लखी
 नी 2 मि रब. नं. 333, 379, 382, 383, किला 4 कबा 2.60 है. का वारिया हि. 1/3
 नं. 1 हि. 1/6 जलि. 2 स 3 हि. 1/6, जलि. पर 8 हि. 1/3 समझा, अनुला (किमान
 किया जाता है लखीका एरा मरी उका उका का उका पसकारी के मरुम निमम
 स 2 स प्रवधानों अनुला किमान एसाव लीया कल पेश करे।

चीज मुवालेग बाबत
 खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व सरह फीसदी सालाना आज की तारीख
 से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
 बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 11 2019
 को जारी की गई।

मुहर दस्तावेज अधिकारी
ओहदा रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जी 1वा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत		महनताना वकील पर	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत इजरा / हु कमनामा	
बाबत इजराय हु मनामा		मुतफरिफ	
मुतफरिफ				
मीजान....			मीजान ...		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरो के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करवा
 बाहिये।

रा. म. जो. 139-2006-1; 00,000 फार्म

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

प्रस्तुत किमान
 लखीका नी
 का पसकारी
 किया
 कबा दिशा
 87 पश्चिम
 87 है
 23 शर्ती
 3
 1
 6
 13 है